

अध्याय IV : केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

भारतीय खाद्य निगम

4.1 रेलवे के रियायती माल भाड़े का लाभ नहीं लिया जाना

भारतीय खाद्य निगम के द्वारा खाद्यान्न परिवहन की अभिप्रेत संचालन योजना को क्रियान्वित नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप ₹35.96 करोड़ की राशि का रेलवे के रियायती माल भाड़े का लाभ नहीं लिया गया।

पंजाब उन प्रमुख राज्यों में है जहाँ गेहूँ एवं चावल की अधिप्राप्ति से अधिशेष खाद्यान्न होता है। राज्य में उपलब्ध गेहूँ और चावल के अधिशेष स्टॉक को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत और सरकार की सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कम खाद्यान्न उत्पादित करने वाले राज्यों में ले जाया जाता है। अधिशेष खाद्यान्न का उपयोग बफर स्टॉक बनाने के लिए भी किया जाता है। पंजाब, (जो एक अधिशेष खाद्यान्न वाला क्षेत्र है) में भारतीय खाद्य निगम (एफ. सी. आई.) का क्षेत्रीय कार्यालय कम खाद्यान्न उत्पादित करने वाले राज्यों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए रेल एवं सड़क के माध्यम से अधिशेष खाद्यान्न के संचालन की योजना बनाता है।

प्रत्येक महीने भारतीय खाद्य निगम मुख्यालय के द्वारा संसूचित संचालन योजना के अनुसार खाद्यान्नों का संचालन हेतु प्रचालन किया जाता है। योजना अधिशेष तथा कमी वाले क्षेत्रों में खाद्यान्न की क्रमशः उपलब्धता तथा आवश्यकता, संभावित अधिप्राप्ति, अधिप्राप्ति और उपभोग किए जाने वाले दोनों क्षेत्रों में उपलब्ध भंडारण क्षमता तथा खाद्यान्न का मासिक आवंटन/उठाव को ध्यान में रख कर बनाई जाती है। भारतीय खाद्य निगम मुख्यालय द्वारा संसूचित निर्देशों के अनुसार, अनुमोदित संचालन योजना में खाद्यान्नों के

परिवहन के लिए निर्धारित रैकों का किसी खास महीने में उपयोग नहीं किए जाने पर अनुवर्ती महीने तक नहीं ले जाया जा सकता है।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि “रेल मंत्रालय की गतिशील कीमत निर्धारण नीति (जुलाई, 2015)” में 1 अप्रैल से 30 जून तथा 1 अक्टूबर से 31 मार्च के बीच परिवहन किए गए सभी वस्तुओं पर मूल माल भाड़ा दर की 15 प्रतिशत की दर से व्यस्त सीज़न चार्ज (बीएससी) की उगाही का प्रावधान है। इस प्रकार, 1 जुलाई से 30 सितंबर के दौरान परिवहन किए गए वस्तुओं को मूल माल भाड़े की दर पर व्यस्त सीज़न चार्ज के उदग्रहण से छूट दी गयी है।

पंजाब में एफ. सी. आई. के जिला कार्यालयों के अभिलेखों की समीक्षा से पता चला कि 2015-16 से 2018-19 के दौरान जुलाई से सितंबर तक रेलवे के माध्यम से परिवहन किए गए खाद्यान्नों की मात्रा संचालन योजना में विनिर्दिष्ट मात्रा से सामान्यतः कम थी जबकि उन महीनों के दौरान किया गया संचालन बीएससी से छूट प्राप्त था। एफ. सी. आई. के पंजाब प्रक्षेत्र के तीन जिला कार्यालयों पटियाला, लुधियाना तथा भटिंडा में मासिक संचालन योजना के क्रियान्वयन से संबन्धित अभिलेखों की जांच के दौरान यह देखा गया कि पूर्ण अनुमोदित संचालन योजना के गैर क्रियान्वयन का एक मुख्य कारण रेलवे को रैकों को देने के लिए मांग पत्रक रखने में भारतीय खाद्य निगम की विफलता थी। रैकों के लिए मांग पत्रक का स्थानन नहीं किए जाने के फलस्वरूप 2015-16 से 2018-19 तक की अवधि में जुलाई से सितंबर महीने के दौरान पटियाला, लुधियाना तथा भटिंडा के जिला कार्यालयों के मासिक संचालन योजना में विनिर्दिष्ट मात्रा से कम मात्रा में खाद्यान्न का परिवहन हुआ। इस प्रकार, भारतीय खाद्य निगम ने “रेलवे की गतिशील कीमत निर्धारण नीति” के तहत रेलवे माल भाड़े की कम दर का लाभ लेने का अवसर खो दिया। इसके परिणामतः रेलवे के माध्यम से खाद्यान्नों के परिवहन पर भारतीय खाद्य निगम को ₹35.96 करोड़ का परिहार्य अतिरिक्त व्यय हुआ।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (जुलाई, 2019) कि संचालन योजना का क्रियान्वयन इष्टतम माना जाता था यदि संचालन योजना का 80 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त हुआ हो। प्रबंधन ने आगे कहा कि कवर की गयी अवधि के लिए उपलब्धि इस स्तर

से अधिक थी। इसने यह भी बताया कि खाद्यान्नों के संचालन की वर्तमान प्रणाली में इस तरह का अतिरिक्त व्यय अपरिहार्य था। इसके अलावा, प्रबंधन ने कहा (सितंबर, 2020) कि रेकों का लाभ प्रत्येक महीने में नहीं लिया गया तथा न कि सिर्फ जुलाई से सितंबर तक के व्यस्त सीज़न के महीनों में।

मंत्रालय ने (अक्टूबर, 2019 तथा मार्च, 2020) में संचालन योजनाओं के कम क्रियान्वयन के लिए अनेक कारकों जैसे प्राप्तकर्ता डिपो की सीमित भंडारण क्षमता की सीमा, राज्य सरकारों द्वारा कम उठाव तथा अन्य आकस्मिक परिस्थितियों को जिम्मेवार ठहराया। इसने यह भी दोहराया कि व्यस्त सीज़न में रेकों के उपयोग की प्रतिशतता कमोबेश वर्ष के अन्य महीनों के समान ही थी।

ये उत्तर स्वीकार्य नहीं हैं चूंकि मासिक संचालन योजनाएँ आपूर्ति, माँग, आवंटन और भंडारण क्षमता को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई थीं। विभिन्न महीनों हेतु रेकों के लिए लक्ष्य निर्धारण के समय मंत्रालय के द्वारा उजागर की गई बाधाओं का ध्यान एफ. सी. आई. को रखना चाहिए था। इस प्रकार, इन योजनाओं को विशेष रूप से उन महीनों में पूरी तरह क्रियान्वयित किया जाना चाहिए था जब रियायती रेलवे माल भाड़ा की दर उपलब्ध हो। इसके अलावा, लेखापरीक्षा ने अपनी अभ्युक्ति में केवल उन मामलों को शामिल किया था जब रेलवे के पास रेकों के लिए माँग पत्रक नहीं देने के कोई युक्तियुक्त कारण अभिलेखों में उपलब्ध नहीं थे। रियायती रेलवे माल भाड़ा दर उपलब्ध होने के महीनों के दौरान खाद्यान्न की नियोजित मात्रा का परिवहन नहीं होना योजना के क्रियान्वयन के संबंध में खामियों का संकेत देता है। इसके अलावा, लेखापरीक्षा को ऐसा कोई दस्तावेज़ नहीं दिया गया जिससे यह पुष्टि की जा सके कि संचालन योजना के 80 प्रतिशत की उपलब्धि इष्टतम थी।

इस प्रकार, व्यस्त सीज़न के दौरान अनुमोदित मासिक संचालन योजना के क्रियान्वयन में एफ. सी. आई. की विफलता के परिणामस्वरूप ₹35.96 करोड़ के रियायती रेलवे माल भाड़ा प्रभारों का लाभ नहीं लिया गया। यदि इन रियायतों का लाभ लिया जाता तो भारत सरकार पर खाद्य आर्थिक सहायता के भुगतान का बोझ कम होता।

4.2 प्रहस्तन एवं परिवहन अनुबंध को अंतिम रूप देने में देरी के कारण परिहार्य व्यय

प्रचालन अनिवार्यताओं के बावजूद तदर्थ प्रहस्तन एवं परिवहन अनुबंध को अंतिम रूप देने में देरी के परिणामस्वरूप राज्य सरकार की एजेंसियों अग्रेषित प्रभारों के प्रति पर ₹20.69 करोड़ का परिहार्य व्यय

भारतीय खाद्य निगम (एफ. सी. आई.), भारत सरकार की नोडल केन्द्रीय एजेंसी है, जो राज्य सरकार की एजेंसियों के साथ मूल्य समर्थन योजना के तहत गोहूँ की खरीद का कार्य करती है। एफ. सी. आई. द्वारा, राज्य सरकार की एजेंसियों (एस. जी. ए.) से खरीदा गया गोहूँ उपभोक्ता राज्यों की आवश्यकता/चलन योजना के अनुसार भेजा जाता है। राज्य सरकार की एजेंसियों को (एस. जी. ए.) गोहूँ की खरीद के तुरंत बाद उसे केन्द्रीय पूल में पहुंचाने की आवश्यकता होती थी, जब तक कि भारतीय खाद्य निगम इसे स्वीकार नहीं करने के कारणों को लिखित रूप में न बताए। इसके लिए राज्य सरकार की एजेंसियाँ (एस. जी. ए.) लागू ब्याज सहित स्वीकृत भंडारण शुल्कों के रूप में कैरी ओवर प्रभारों की हकदार थीं।

रामपुरफूल केंद्र, जिला भटिंडा, पंजाब में, भारतीय खाद्य निगम ने सितंबर, 2015 से अगस्त, 2017 तक की दो वर्षों की अवधि के लिए प्रहस्तन एवं परिवहन (एच. एण्ड टी.) अनुबंध मेसर्स गंगसर ट्रांसपोर्ट कंपनी (ठेकेदार) को दिया (20 अगस्त, 2015)। तथापि ई-बोली की मूल्य बोली के हेरफेर में ठेकेदार की संदिग्ध संलिप्तता के फलस्वरूप अनुबंध के तहत कार्य को 10 सितंबर 2015 से निलंबित कर दिया गया था। ठेकेदार को कारण बताओं नोटिस (एस. सी. एन.) भी जारी किया गया था (21 सितंबर 2015)। ई-बोली के मूल्य बोलियों में ठेकेदार की संदिग्ध संलिप्तता का मामला न्यायालय में लंबित है।

लेखा परीक्षा में ध्यान दिया गया कि ठेकेदार के साथ प्रहस्तन एवं परिवहन अनुबंध निलंबित रखने के परिणामस्वरूप रामपुरफूल केंद्र, भटिंडा में राज्य सरकार की एजेंसियों (एस. जी. ए.) के गोदाम से स्टॉक की आवाजाही नहीं हुई। जिसके परिणामस्वरूप, भारतीय खाद्य निगम को राज्य सरकार की

एजेंसियों (एस. जी. ए.) के गोदामों में भंडारित खाद्यान्नों के लिए भंडारण/कैरी ओवर प्रभारों को राज्य सरकार की एजेंसियों को देना पड़ा। राज्य सरकार की एजेंसियों ने (नवम्बर, 2015) में यह भी बताया कि स्टॉक की आवाजाही नहीं होने के परिणामस्वरूप स्टॉक की गुणवत्ता में और गिरावट हो सकती है तथा उन्होंने प्रहस्तन एवं परिवहन अनुबंध को शीघ्र अंतिम रूप देने का अनुरोध किया। तथापि, खाद्यान्नों की गुणवत्ता में गिरावट होने के जोखिम तथा राज्य सरकार की एजेंसियों के गोदामों में खाद्यान्न के भंडार के लिए कैरी ओवर प्रभारों की देयता के बावजूद भारतीय खाद्य निगम (एफ. सी. आई.) ने किसी नए ठेकेदार की नियुक्ति नहीं की। लेखापरीक्षा में यह भी ध्यान दिया गया कि पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने अपने 01 अक्टूबर, 2015 के आदेश में रामपुरफूल केंद्र में खाद्यान्नों के प्रहस्तन एवं परिवहन के लिए कोई वैकल्पिक प्रबंध करने पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाया गया है।

आगे लेखापरीक्षा ने पाया कि मेसर्स गंगसर ट्रांसपोर्ट कंपनी के साथ प्रहस्तन एवं परिवहन अनुबंध में न तो खाद्यान्नों के प्रहस्तन एवं परिवहन के लिए कोई विशेष अधिकार दिया गया था और न ही किसी निश्चित मात्रा में कार्य की गारंटी दी गई थी। इसके अलावा, प्रहस्तन एवं परिवहन अनुबंध के अनुसार , भारतीय खाद्य निगम किसी भी या सभी सेवाओं के लिए अनुबंध की अवधि के दौरान एक या एकाधिक ठेकेदारों को नियुक्त करने तथा ऐसे ठेकेदारों के बीच कार्य को किसी भी तरीके से विभाजित करने, जैसा एफ. सी. आई. निश्चित करता है, का विशेष अधिकार सुरक्षित रखता है। तथापि, प्रचालन अनिवार्यता तथा मेसर्स गंगसर ट्रांसपोर्ट कंपनी के साथ हुए प्रहस्तन एवं परिवहन अनुबंध के तहत एकाधिकार होने के बावजूद भारतीय खाद्य निगम , क्षेत्रीय कार्यालय पंजाब ने रामपुरफूल केंद्र से स्टॉक के प्रहस्तन एवं परिवहन सुनिश्चित करने के लिए तदर्थ आधार पर किसी ठेकेदार को कार्य में लगाने के लिए सम्योचित कारवाई नहीं की। संगठन के वित्तीय हितों की रक्षा के लिए जोनल कार्यालय से निर्देश (दिसम्बर, 2015 एवं जनवरी, 2016) प्राप्त होने के पश्चात ही पंजाब क्षेत्रीय कार्यालय ने 16 जनवरी, 2016 को तदर्थ संविदा के लिए निविदा प्रिपृच्छा जारी की। मेसर्स गंगसर ट्रांसपोर्ट कंपनी के साथ प्रहस्तन एवं परिवहन संविदा के निलंबन की तिथि से 4.5 महीनों के पश्चात 25 जनवरी 2016 को

तदर्थ संविदा मेसर्स जेटू ट्रांसपोर्ट कंपनी को दिया गया था। तदर्थ आधार पर प्रहस्तन एवं परिवहन ठेकेदार को कार्य देने के 03 सप्ताह की नियुक्ति प्रक्रिया के औसत समय को ध्यान में रखते हुए एफ. सी. आई. के द्वारा नए ठेकेदार की नियुक्ति में देरी किए जाने के परिणामस्वरूप फसल वर्ष 2014-15 तथा 2015-16 के खाद्यान्नों के लिए अक्टूबर 2015 से 25 जनवरी 2016 तक की अवधि में कैरी ओवर प्रभारों के रूप में ₹20.69 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

मंत्रालय ने उत्तर दिया (सितंबर, 2020) कि शामिल मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए एस. सी. एन. को अंतिम रूप दिये बिना तथा माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के बिना तदर्थ अनुबंध किया जाना संभव नहीं था। यह भी बताया गया कि एफ. सी. आई., पंजाब क्षेत्र ने सूचित किया है कि कैरी ओवर प्रभारों का कोई व्यय नहीं हुआ। आगे यह भी कहा गया कि प्रहस्तन एवं परिवहन ठेकेदार की विफलता के कारण एक केंद्र से लोड नहीं किए गए स्टॉक को दूसरे केंद्र/रेल हेड से लोड किया जाता है जिससे किसी एक महीने में माँगा गया/ दिया गया रक खाली नहीं जाता है। अतः अन्य केन्द्रों से लोड किए गए स्टॉक से लोड नहीं किए गए केंद्र का कैरी ओवर प्रभार निरस्त हो जाता है।

मंत्रालय का उत्तर मान्य नहीं है। लेखापरीक्षा में ध्यान दिया गया कि माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेश (अक्टूबर, 2015) में तदर्थ ठेकेदार की नियुक्ति के लिए एफ. सी. आई. पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया था। इसके अलावा, ठेकेदार के साथ अनुबंध यह भी उपबंधित करता था कि एफ. सी. आई. अनुबंध अवधि के दौरान एक या एकाधिक ठेकेदार की नियुक्ति का अधिकार रखता था। अनुबंध के केवल इसी खंड के आधार पर एफ. सी. आई. ने जनवरी 2016 में तदर्थ ठेकेदार की नियुक्ति की थी, जिस पर अदालत ने 10 फरवरी 2016 तथा 02 मार्च 2016 के अपने अनुवर्ती आदेशों में भी कोई आपत्ति नहीं की थी। पुनः, एफ. सी. आई., भटिंडा कार्यालय ने (अक्टूबर, 2020) सूचित किया है कि उसने फसल वर्ष 2014-15 तथा 2015-16 के लिए केन्द्रीय पूल स्टॉक हेतु कैरी ओवर प्रभारों की देयता को स्वीकार किया था तथा उसका ब्याज सहित भुगतान राज्य सरकार एजेंसियों को किया था। चूंकि कैरी ओवर प्रभारों

केंद्र विशिष्ट थे अतः मंत्रालय का अन्य केन्द्रों से लोड किए गए स्टॉक से लोड नहीं किए गए केंद्र के कैरी ओवर प्रभारों के निरसन का तर्क मान्य नहीं है।

4.3 अस्वीकार्य कैरी ओवर प्रभारों का भुगतान

मंत्रालय के आदेशों का उल्लंघन करते हुए ₹7.05 करोड़ के कैरी ओवर प्रभारों का अस्वीकार्य भुगतान किया। लेखापरीक्षा द्वारा बताए जाने पर भारतीय खाद्य निगम (भा. खा. नि.) ने ₹5.83 करोड़ की वसूली की।

राज्य सरकारें तथा उनकी एजेंसियाँ (एस. जी. ए.) विकेंद्रीकृत अधिप्राप्ति योजना के अंतर्गत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टी. पी. डी.एस.) एवं भारत सरकार (जी. ओ. आई.) की अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत अपने राज्यों में खाद्यान्नों¹ की अधिप्राप्ति, भंडारण एवं वितरण करती है। राज्यों/राज्य सरकार की एजेंसियों के द्वारा अधिप्राप्त किए गए अतिरिक्त स्टॉक (चावल और गेहूँ) को केन्द्रीय पूल का हिस्सा बनाए जाने के लिए भारतीय खाद्य निगम (एफ. सी. आई.) को सौंप दिया जाता है। भारतीय खाद्य निगम (एफ. सी. आई.) को सौंपे गए ऐसे अतिरिक्त स्टॉक के लागत की प्रतिपूर्ति निगम के द्वारा संबन्धित राज्यों/राज्य सरकार की एजेंसियों को भारत सरकार के द्वारा संबन्धित राज्य के लिए जारी लागत पत्र के अनुसार की जाती है। यह परिकल्पना की गई है कि राज्य सरकारों/राज्य सरकारों की एजेंसियाँ अतिरिक्त स्टॉक की खरीद के तुरंत बाद उसे केन्द्रीय पूल तक पहुंचाएंगे जब तक कि भारतीय खाद्य निगम अतिरिक्त स्टॉक स्वीकार नहीं किए जाने के कारणों को लिखित रूप में न बताये। प्रत्येक वर्ष जून महीने से आगे की अवधि के लिए कैरी ओवर प्रभार खाद्यान्नों की उस मात्रा के लिए होगा जिसे भारतीय खाद्य निगम स्वीकार करने में असमर्थ हो।

उपभोक्ता मामलों, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के द्वारा (सितंबर 2010) जारी “आकस्मिक दावों के प्रस्तुतीकरण के लिए दिशानिर्देश” का पैरा 6.10 उपबंधित करता है कि गेहूँ के लिए कैरी ओवर प्रभारों को संबन्धित वर्ष के 30 जून के पश्चात गेहूँ के वितरण की प्रभार के साथ सहमत भंडारण ब्याज की प्रचलित दर देय होगा। दिशानिर्देशों का पैरा 6.5 आगे

¹ चावल, गेहूँ एवं मोटा अनाज

उपबंधित करता है कि डी. सी. पी. योजना में भाग लेने वाले राज्यों के मामलों में एक वर्ष के लिए संबन्धित राज्य की आवश्यकता से अधिक स्टॉक केन्द्रीय पूल के तहत एफ. सी. आई. के पास जमा किया जाता है। यदि राज्य सरकार की एजेंसियों के द्वारा केन्द्रीय पूल में जमा करने के लिए कोई अधिशेष स्टॉक नहीं सौंपा जाता है तो ऐसे स्टॉक के लिए भंडारण लागत का दावा नहीं किया जाता है।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि मध्य प्रदेश वर्ष 1999-2000 से गेहूँ की अधिप्राप्ति के लिए डी. सी. पी. योजना का हिस्सा रहा है। भारतीय खाद्य निगम के संभागीय कार्यालय उज्जैन, मध्य प्रदेश के अभिलेखों की जाँच से पता चला कि मध्य प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड (एम. पी. एस. सी. एस. सी. एल.) ने (अगस्त 2015) में भारतीय खाद्य निगम से छूट प्राप्त किए विनिर्देश² श्रेणी (यू. आर. एस.) के अंतर्गत 2014-15³ के रबी विपणन सीजन (आर. एम. एस.) के गेहूँ का स्टॉक लेने का अनुरोध किया था। तत्पश्चात, राज्य सरकार ने (11 सितंबर, 2015) उपभोक्ता मामलों, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय को अपना अनुरोध दोहराया। लंबे समय तक भंडारण के कारण गुणवत्ता में और हास से बचने के लिए मंत्रालय ने (16 सितंबर 2015) अनुरोध से सहमति व्यक्त की तथा भारतीय खाद्य निगम को अन्य स्टॉक से अधिक प्राथमिकता देते हुए अपनी आवश्यकता के अनुसार आर. एम. एस. 2014-15 के यू. आर. एस. गेहूँ लेने के लिए निर्देशित किया।

भारतीय खाद्य निगम, संभागीय कार्यालय, उज्जैन ने तदनुसार अक्टूबर, 2015 से फरवरी 2016 के दौरान एम. पी. एस. सी. एस. सी. एल. से यू. आर. एस. गेहूँ के 30,176.75 मीट्रिक टन स्टॉक का अधिग्रहण किया। उसने एम. पी. एस. सी. एस. सी. एल. को 18,881.02⁴ मीट्रिक टन गेहूँ के कैरी ओवर प्रभार के रूप में ₹7.05 करोड़ का भुगतान भी किया। लेखापरीक्षा में देखा गया कि आर.एम. एस. 2014-15 के लिए अंतिम लागत पत्र में निर्धारित की गई शर्तों

² केन्द्रीय पूल अधिप्राप्ति हेतु निर्धारित निर्दिष्ट मानकों को पूरा नहीं करने वाला स्टॉक

³ अप्रैल - जून 2014 के दौरान की गई अधिप्राप्ति

⁴ शेष बचे 11295.73 मीट्रिक टन के लिए कैरी ओवर प्रभार का भुगतान नहीं किया गया था क्योंकि एफ. सी. आई के पास भंडारण हेतु जगह रिक्त थी।

तथा “आकस्मिक दावों के प्रस्तुतीकरण के लिए दिशानिर्देशों” के मद्देनजर एम. पी. एस. सी. एस. सी. एल. को कैरी ओवर प्रभार देय नहीं था। यू. आर. एस. श्रेणी के तहत आर. एम. एस. 2014-15 के स्टॉक के अधिग्रहण के लिए मंत्रालय की मंजूरी (16 सितंबर, 2015) में अगस्त 2015 में, अर्थात् अधिप्राप्ति के एक वर्ष से अधिक समय के पश्चात भी एम. पी. एस. सी. एस. सी. एल. के द्वारा दिए गए स्टॉक के लिए कैरी ओवर प्रभार के भुगतान करने के लिए निर्देशित नहीं किया गया था। इस प्रकार, ₹7.05 करोड़ के कैरी ओवर प्रभार का भुगतान तत्कालीन दिशा निर्देशों तथा अनुदेशों के विपरीत था एवं तदनुसार परिहार्य था। जब लेखापरीक्षा के द्वारा इस ओर ध्यान आकृष्ट किया गया तो भारतीय खाद्य निगम ने (सितंबर, 2020 में) एम. पी. एस. सी. एस. सी. एल. से देय बकायों के प्रति समायोजन के द्वारा ₹5.83 करोड़ की वसूली की।

प्रबंधन ने (सितंबर, 2020) जवाब दिया कि एम. पी. एस. सी. एस. सी. एल. ने अगस्त 2015 में आर. एम. एस. 2014-15 के यू. आर. एस. स्टॉक की पेशकश की थी। तदनुसार, कैरी ओवर प्रभार सितंबर 2015 से स्टॉक उठाए जाने की वास्तविक तिथि तक के लिए देय थी जो ₹1.22 करोड़ की थी (अर्थात् ₹5.83 करोड़ की गई वसूली को घटा कर ₹7.05 करोड़ का आरंभिक भुगतान किया)।

प्रबंधन का उत्तर तर्कसंगत नहीं है। चूंकि स्टॉक की पेशकश जून में समाप्त अधिप्राप्ति सीज़न के अंत के एक वर्ष और दो महीने के पश्चात की गई थी, अतः कैरी ओवर प्रभार की गणना के लिए एम. पी. एस. सी. एस. सी. एल. के द्वारा अगस्त 2015 में यू. आर. एस. स्टॉक की पेशकश की अंतिम तिथि तय करना प्रासंगिक नहीं है। मंत्रालय से कैरी ओवर प्रभार का एम. पी. एस. सी. एस. सी. एल. को भुगतान करने के लिए कोई निर्देश नहीं होने के अभाव में तथा “आकस्मिक दावे के प्रस्तुतीकरण के लिए दिशानिर्देश” तथा मंत्रालय के द्वारा जारी लागत पत्र के मद्देनजर इस मामले में एम. पी. एस. सी. एस. सी. एल. को किसी प्रकार का कैरी ओवर प्रभार देय नहीं था। इस प्रकार, ₹1.22 करोड़ की राशि का कैरी ओवर प्रभार का शेष भुगतान भी अनियमित था जिसे एम.पी.एस.सी.एस.सी.एल. से वसूल किए जाने की आवश्यकता है।

यह मामला दिसम्बर 2019 में मंत्रालय को सूचित किया गया था, उनका का उत्तर (दिसंबर, 2020 तक) प्रतीक्षित था।

जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय

राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम

4.4 ठेकेदारों को अनुचित लाभ

राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड (एन.पी.सी.सी.) के द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की परियोजनाओं के क्रियान्वयन में देरी के लिए ठेकेदारों पर ₹18.73 करोड़ का निर्णित हर्जाना लगाने में विफलता। इसके अलावे, वास्तविक साइट पर काम नहीं किये जाने के बावजूद एन.पी.सी.सी. के द्वारा ठेकेदारों को ₹19.30 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भुगतान किया।

झारखण्ड में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई.) के तहत कार्यों के निष्पादन के लिए झारखंड सरकार, भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय तथा राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड के बीच एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किये गए। एन.पी.सी.सी. ने 2010 से 2014 के बीच झारखंड सरकार की ओर से पी.एम.जी.एस.वाई. के तहत झारखंड के छः जिलों अर्थात् गुमला, पूर्वी सिंहभूम (ई.एस.जी.), पश्चिमी सिंहभूम, देवघर, सरायकेला एवं लातेक्षर में स्थित सड़कों के निर्माण तथा उन्नयन के लिए संविदाएं जारी की।

पी.एम.जी.एस.वाई. के तहत झारखण्ड में एन.पी.सी.सी. के द्वारा क्रियान्वित की जा रही सड़क परियोजनाओं के लिए अनुबंधनों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से यह पता चला कि की 40 पैकजों से सम्बंधित 173 सड़क परियोजनाओं को ठेकेदारों के द्वारा निर्धारित समय के भीतर कार्य पूरा करने में विफल रहने के कारण 2012 से 2017 के बीच समाप्त कर दिया गया था। एन.पी.सी.सी. ने इन समाप्त अनुबंधों की प्रतिभूति जमा एवं निष्पादन प्रतिभूति को जब्त कर लिया। इन समाप्त की गई 173 सड़क परियोजनाओं की जांच पर लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्नलिखित है

(ए) निर्णित हर्जाना को लागू/वसूली न करना

त्रिपक्षीय समझौते का पैरा 3.1 यह प्रावधान करता है की परियोजना का क्रियान्वयन पी.एम.जी.एस.वाई. के दिशानिर्देशों तथा मानक/मॉडल बोली दस्तावेज (एस.बी.डी.) सहित सम्बंधित दस्तावेजों के अनुसार किया जाना था। एस.बी.डी. का खंड 44.1 तथा 44.2 यह अनुबंधित करता है कि संवेदक प्रति सप्ताह अथवा उसके भाग जो संविदा में विनिर्दिष्ट दर (प्रति सप्ताह एक प्रतिशत) पर एन.पी.सी.सी. को निर्णित हर्जाने (एल-डी) का भुगतान उस अवधि के लिए करेगा जब परियोजना पूरी करने की तिथि परियोजना पूरी करने की नियत तिथि से बाद की हो तथा एल.डी. की कुल राशि संविदा मूल्य के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। इसके अलावा, एन.पी.सी.सी. ठेकेदार को बकाया भुगतान से एल.डी. की कटौती कर सकता है तथा एल.डी का भुगतान ठेकेदार की अन्य देनदारियों को प्रभावित नहीं करेगा।

चूककर्ता ठेकेदार, अनुबंध मूल्य के 10 प्रतिशत की अधिकतम दर पर एल.डी. भुगतान के लिए उत्तरदायी थे क्योंकि समाप्त किए गए सभी अनुबंधों (एक के अतिरिक्त) में विलम्ब 10 सप्ताह से अधिक था। इस प्रकार ₹20.31 करोड़ की राशि वाले सभी समाप्त अनुबंधों पर निरपेक्ष रूप से अधिकतम एल.डी वसूली योग्य था। एन.पी.सी.सी. ने सूचित किया (सितंबर 2020) कि इस राशि के विरुद्ध 49 मामलों में ₹1.58 करोड़ रुपये का एल.डी. अध्यारोपित कटौती किया गया। हालांकि लेखा परीक्षा ने संगणना की कि सिर्फ इन 49 मामलों में अकेले वसूली योग्य एल. डी. की राशि ₹6.56 करोड़ रुपये की थी। बार-बार अनुरोधों के बावजूद एन.पी.सी.सी. ने इन 49 मामलों में अपने द्वारा लगाई गई एल.डी के समर्थन में विस्तृत गणना प्रदान नहीं की।

लेखापरीक्षा में यह भी देखा गया कि 53 मामलों में अनुबंधों की विस्तारित अवधि के दौरान चूककर्ता ठेकेदारों को भुगतान किया गया था। हालांकि इन ठेकेदारों से ₹5.38 करोड़ की एल.डी. राशि की वसूली की प्रयाप्त गुन्जाइश थी तथापि उन्हें किये गए भुगतान से कोई वसूली नहीं की गई थी।

यह भी देखा गया कि प्रबंधन ने कार्यों को पूरा करने के लगभग सभी मामलों में 201 दिनों से 1441 दिनों की देरी के पश्चात अनुबंधों की समाप्ति की

प्रक्रिया शुरू की थी। करवाई किये जाने में देरी के परिणामस्वरूप सड़कों की हालत खराब होने के साथ-साथ शेष कार्यों को पूरा करने के लिए संशोधित लागत में वृद्धि हुई जिससे झारखंड राज्य ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण⁵ (जे.एस.आर.आर.डी.ए) से अतिरिक्त निधि के संस्वीकृति की आवश्यकता हुई।

समाप्त किये गए 118 कार्यों को पूरा करने के लिए जे.एस.आर.आर.डी.ए. अर्थात् झारखंड सरकार की नोडल एजेंसी ने शेष बचे कार्यों के संशोधित लागत को ध्यान में रखते हुए ₹22.58 करोड़ रुपये (जब्त किए गए प्रतिभूति जमा और प्रदर्शन प्रतिभूतियों के समायोजन के पश्चात) की अतिरिक्त राशि की संस्वीकृति (दिसम्बर, 2016/ अगस्त, 2017) दी। अतिरिक्त संस्वीकृति इस शर्त के साथ दी गई थी कि एन.पी.सी.सी. शेष बचे कार्यों को मार्च 2019 से पूर्व पूरा कर लेगी। यह भी निर्धारित किया गया था कि एन.पी.सी.सी. ठेकेदारों से एल.डी. की वसूली करेगा जिसमें विफल रहने पर एल.डी की राशि एजेंसी (एन.पी.सी.सी) को देय फीस समायोजित किया जाएगा। इसके बावजूद, एन.पी.सी.सी के द्वारा चूककर्ता ठेकेदारों से एल. डी. की पूरी राशि की वसूली के लिए कोई कारवाई नहीं की गई। एन.पी.सी.सी ने समाप्त किये गए अनुबंधों से वसूल की जाने वाली 20.31 करोड़ रुपये की एल.डी. की राशि के विरुद्ध 49 मामलों में केवल ₹1.58 करोड़ रुपये की एल.डी. की वसूली/कटौती की। इस प्रकार, एन.पी.सी.सी. अपनी फीस से एल.डी. के संग्रह में कमी के लिए जे.एस.आर.आर.डी.ए. को क्षतिपूर्ति करने का उत्तरदायी था।

प्रबंधन ने (अप्रैल/अक्टूबर 2018 तथा सितंबर 2020) जवाब दिया कि:

- (i) चूंकि करार में वृद्धि सम्बन्धी कोई धारा नहीं थी तथा मूल संविदा के दौरान बोली कर्ताओं की प्रतिक्रिया बहुत ही कम थी, अतः एक “उदार द्रष्टिकोण” अपनाया गया। तत्पश्चात जे.एस.आर.आर.डी.ए. से स्पष्ट निर्देश प्राप्त होने के बाद एल.डी. की कटौती की गई।

⁵ जे.एस.आर.आर.डी.ए. :- पी.एम.जी.एस.वाई. के क्रियान्वयन के लिए झारखंड सरकार की नोडल एजेंसी है।

- (ii) समझौते अनुबंध में एलडी खंड का रहना ही एल.डी. के उदग्रहण का स्वतः अधिरोपण नहीं करता है जब तक कि माइलस्टोन प्राप्त नहीं करने के लिए संबंधित एजेंसी की पूरी तरह जिम्मेदार होने के वैध कारण जैसे एलडी के उदग्रहण और एजेसी को पूर्णतः जिम्मेदार नहीं थे। इसके अलावा एलडी जहां भी लागू हो, अधिरोपित हो। तदनुसार, 49 मामलों में ठेकेदारों के बकाया राशि से ₹1.58 करोड़ रुपए की राशि का अधिरोपण किया गया/वसूला गया।
- (iii) अनुबंध की अवधि झारखंड सरकार के द्वारा मार्च 2015 तक तथा तत्पश्चात मार्च 2019 तक बढ़ा दी गई थी तथा जे.एस.आर.आर.डी.ए. ने एन.पी.सी.सी. पर एल.डी का उदग्रहण नहीं किया है या उसके समायोजन के लिए एन.पी.सी.सी. की किसी भी एजेंसी फीस को स्थगित कर नहीं रखा है।

प्रबंधन का जवाब, एलडी की वसूली करने में उसकी विफलता को उदारता दिखाने में गैर अनुबंधात्मक विचारों द्वारा निर्देशित थी तथा वह अनुबंध की शर्तों के अनुरूप नहीं था। यह तथ्य कि अनुबंध में वृद्धि के लिए कोई प्रावधान बोली-कर्ताओं को भी पता था तथा तदनुसार उनसे अनुबंध मूल्य को उद्धृत करने की उम्मीद की जाती है तथा इसका एल.डी. के कारण ठेकेदारों को किसी प्रकार की राहत प्रदान करने के लिए एक कारण के रूप में उल्लेख नहीं किया जा सकता है। यह भी दर्शाता है कि ठेकेदारों को भुगतान करते समय आंतरिक नियंत्रण भी पारित किये गए थे।

इसके अलावा, मार्च 2019 तक जेएसआरआरडीए द्वारा परियोजना की अवधि के विस्तार के सवाल में अनुबंधों की कोई प्रासंगिकता नहीं है क्योंकि ये 2012 और 2017 के बीच पहले ही समाप्त कर दिए गए थे। ऐसे विस्तार भी एलडी के भुगतान की देयता से किसी भी एजेंसी को स्वचालित रूप से मुक्त नहीं करते हैं यदि विशेष रूप से माफ किए गए हों। इस प्रकार, एनपीसीसी उसके अनुबंधों के मामले में चूककर्ता ठेकेदारों से अधिरोपित/वसूली करने के लिए जिम्मेदार बना रहेगा। वस्तुतः जेएसआरआरडीए ने समाप्त किए गए अनुबंध को पूरा करने के लिए अतिरिक्त निधि की संस्वीकृति देते समय एलडी की

वसूली को विशेष रूप से परिकल्पित किया और एलडी की गैर-वसूली के मामले में उसका समायोजन एनपीसीसी की एजेंसी फीस से किया जाएगा।

हालांकि प्रबंधन का यह मत कि देरी के कारणों का विश्लेषण किए बिना स्वचालित रूप से एल.डी. को लागू नहीं किया जा सकता, मुख्य रूप से स्वीकार्य है तथापि ऊपर वर्णित उन 49 मामलों में, जिसमें एन.पी.सी.सी. ने ₹1.58 करोड़ के एल.डी. की वसूली की थी। लेखापरीक्षा द्वारा बारंबार अनुरोध करने के बावजूद सत्यापन के लिए विस्तृत गणना प्रदान नहीं की गई। लेखापरीक्षा में देखा गया कि समाप्त किए गए 173 सड़क परियोजनाओं में से 112 परियोजनाओं में समाप्ति की तिथि तक काम की औसत प्रगति⁶ 50 प्रतिशत से कम थी। सड़कों की सभी परियोजनाओं को एक साथ ध्यान देते हुए अनुबंधों को समाप्त करने में 697 दिनों की औसत देरी हुई थी। हालांकि काम समाप्त करने की तिथि तक कार्य समापन का औसत केवल 39 प्रतिशत ही था। ऐसी परिस्थितियों में यह मुमकिन नहीं है कि अधिकतम एल.डी. आकृष्ट करने के लिए न्यूनतम 10 सप्ताह की देरी हेतु ठेकेदार जिम्मेदार नहीं होंगे।

चूंकि जे.एस.आर.आर.डी.ए. के साथ करार अभी तक समाप्त नहीं हुआ है तथा इस मद में देयता बनी हुई है अतः प्रबंधन का तर्क, कि जे.एस.आर.आर.डी.ए. के द्वारा उसकी एजेंसी फीस से वसूल न किए गए एल.डी. का कोई समायोजन नहीं किया गया है, मान्य नहीं है। यदि उक्त समायोजन का अधित्याग भी कर दिया जाता है तो भी एल.डी. राशि की वसूली न होने से सरकारी खजाने को क्षति हुई क्योंकि समाप्त किए गए कार्यों को पूरा करने के लिए जे.एस.आर.आर.डी.ए. ₹22.58 करोड़ की अतिरिक्त राशि स्वीकृत की थी जिसकी मूलतः प्रतिपूर्ति की जा सकती थी यदि ₹20.31 करोड़ की एलडी की पूर्ण रूप से वसूली की गई थी।

इस प्रकार, सड़क परियोजनाओं को पूरा करने में देरी के लिए अनुबंध के एल.डी. संबंधी प्रावधानों को लागू करने में एन.पी.सी.सी. की विफलता से ठेकेदारों को अनुचित लाभ हुआ तथा ₹18.73 करोड़ की राशि एलडी. की वसूली

⁶ ठेकेदारों को किये गए भुगतान के आधार पर प्रगति की संगणना की गई है तथापि किये गए कार्य से अधिक भुगतान के कुछ मामले भी पाए गये थे जैसा की पैरा के भाग "ब" में दर्शाया गया है।

नहीं की गई। चूंकि विलंब के कारण समाप्त की गई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए सरकार को ₹22.58 करोड़ की अतिरिक्त राशि की मंजूरी देनी पड़ी, अतः सरकारी खजाने को भी समान राशि के बराबर नुकसान हुआ।

सितंबर 2018 में मामला मंत्रालय को सूचित किया गया तथा उनका जवाब प्रतीक्षित (दिसम्बर, 2020) था।

(बी) समाप्त की गई परियोजनाओं में ठेकेदारों को गलत भुगतान

समाप्त की गई 173 परियोजनाओं से सम्बंधित अभिलेखों की लेखा परीक्षा जांच से पता चला कि कंपनी ने इन परियोजनाओं में किये गए वास्तविक कार्य की जांच मापन पुस्तिका (एम.बी.ज.) में दर्ज कार्य से की गई। इस जांच से पता चला कि समाप्त की गई 173 सड़क परियोजनाओं में से 121⁷ परियोजनाओं में साइट पर निष्पादित वास्तविक कार्य के बजाय गलत माप दर्ज कर ठेकेदारों को अतिरिक्त भुगतान किया गया। इससे ₹19.30 करोड़ का गलत भुगतान हुआ। कंपनी के द्वारा की गई जांच से पता चला कि लातेहार जिले में चार पुलों के निर्माण के लिए परियोजनाओं तथा पश्चिमी सिन्धभूम में तीन सड़क परियोजनाओं के मामले में मापन पुस्तिका (एम.बी.ज.) में निष्पादित कार्य के लिए माप गलत तरीके से दर्ज किये गए थे जिसके आधार पर ठेकेदारों को कोई कार्य निष्पादित नहीं करने के बाद भी ₹1.90 करोड़ का भुगतान किया गया।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि कंपनी ने ₹19.30 करोड़ रूपए के अतिरिक्त भुगतान की वसूली के लिए ठेकेदारों को जनवरी 2017 से जनवरी 2018 के दौरान कानूनी नोटिस जारी किए थे। हालांकि कानूनी नोटिस जारी करने में संविदा समाप्त किए जाने की तिथि से 59 से 861 दिनों का विलंब हुआ था। तत्पश्चात ठेकेदारों से उपरोक्त राशि की वसूली के लिए कंपनी ने राजस्व अधिकारियों के पास मामले भी दायर किए। हालांकि आज तक कोई वसूली नहीं की जा सकी है।

⁷ पश्चिम सिंधभूम में 22 सड़क परियोजनाएं, पूर्वी सिंधभूम में 16 सड़क परियोजनाएं, साराइकेला में 21 सड़क परियोजनाएं, गुमला में 48 सड़क परियोजनाएं तथा लातेहार में 14 पुलों का निर्माण

लेखापरीक्षा ने आंतरिक जांच तथा निगरानी तंत्र के कार्य में कमियां पाई। पश्चिम सिंहभूम और गुमला में 37 परियोजनाओं से संबंधित रनिंग एकाउंट बिलों तथा मापन पुस्तिका (एम. बीज) की नमूना जांच से पता चला कि 15 मामलों में ठेकेदारों को भुगतान माप की तिथि को किया गया था जो ठेकेदारों को भुगतान से पहले काम के मापन की सत्यापन प्रक्रिया में खामियों का संकेतक है। लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि परिचालन⁸ नियमावली (पैरा 11.5.7) में निर्धारित गुणवत्ता नियंत्रण प्रक्रियाओं से विचलन हुआ था। नियमपुस्तिका ने राज्य गुणवत्ता समन्वयक (एस.क्यू.सी.) के द्वारा प्रत्येक कार्य के न्यूनतम तीन परीक्षणों को है। हालांकि पश्चिम सिंहभूम और गुमला में परियोजनाओं की, जहां ठेकेदारों को अतिरिक्त भुगतान के अधिकतर मामले में पाए गए, समीक्षा से पता चला कि एस.क्यू.सी. के द्वारा निर्धारित निरीक्षण में अत्यधिक देरी हुई तथा निरीक्षण ठोषपूर्ण भी थे। इन दोषों ने ठेकेदारों को अतिरिक्त भुगतान कराया।

अपने उत्तरों (अक्टूबर, 2018 तथा सितंबर, 2020) में प्रबंधन ने ठेकेदारों के अतिरिक्त भुगतान किए जाने की स्वीकृति की तथा कर्मचारियों के विरुद्ध आवश्यक प्रशासनिक तथा अनुशासनात्मक कार्यवाही, जैसा कि समुचित है, की गई। इसके अलावा ठेकेदारों के विरुद्ध वसूली के लिए मुकदमा दायर करने के अतिरिक्त संविदात्मक तथा कानूनी प्रावधानों के तहत कार्यवाही की गई थी तथा वसूली की प्रक्रिया चल रही है। इसके अलावा दोषी ठेकेदारों के विरुद्ध एफ.आई.आर दर्ज करने के निर्देश दिए गये थे। इसने साइट पर किए गए वास्तविक काम के बिना ठेकेदारों को भुगतान की एक अनुमान बताया। इसमें कहा गया कि ऐसे मुद्दों की पुनरावृत्ति से बचने के लिए जोन के कामकाज की निकटता से निगरानी की जा रही है। तथा गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र में सुधार किया गया है और लगातार साइट के निरीक्षण एवं और आकस्मिक जांच की सलाह दी गई थी।

उत्तर ठेकेदारों को अतिरिक्त भुगतान किए जाने की स्वीकृति करते हैं। हालांकि यह भी देखा गया कि एफ.आई.आर दर्ज कराने की पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं

⁸ पीएमजीएसवाई वर्क के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी द्वारा जारी

कराई गई थी। इसके अतिरिक्त शामिल कर्मचारियों के विरुद्ध एफ.आई.आर दर्ज कराने का प्रबंधन का निर्णय अभी तक लागू नहीं किया गया है।

इस प्रकार रोके गए 121 अनुबंधों के मामले में ठेकेदारों को वास्तव में काम किए बिना ही कंपनी द्वारा ₹19.30 करोड़ रुपए का गलत भुगतान किया गया। यह भुगतान आंतरिक जांच और निगरानी तंत्र के द्वारा किए गए काम को दर्ज करने तथा उसके किए गए भुगतान से सहसंबद्ध करने में खामियां दर्शाते हैं।

यह मामला सितंबर 2018 में मंत्रालय को सूचित किया गया। उनका उत्तर (दिसंबर 2020) प्रतीक्षित है।

परमाणु उर्जा विभाग

न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

4.5 कर्मचारियों को अस्वीकार्य परिवार नियोजन भत्ते का भुगतान

न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने भारत सरकार के मौजूदा आदेशों का उल्लंघन करते हुए अपने कर्मचारियों को परिवार नियोजन भत्ते के रूप में ₹5.42 करोड़ का भुगतान किया।

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने 4 दिसंबर 1979 को जारी किए कार्यालय आदेश द्वारा सरकारी कर्मचारियों को छोटे परिवार के मानदंडों को बढ़ावा देने के लिए व्यक्तिगत वेतन के रूप में परिवार नियोजन भत्ता (एफ.पी.ए.) प्रदान किया। छठे वेतन आयोग में, इस व्यक्तिगत वेतन को एक निश्चित मासिक भत्ते में परिवर्तित कर दिया गया था।

सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट में एफ.पी.ए. को खत्म करने की सिफारिश की गई क्योंकि सरकारी कर्मचारियों के बीच उपयुक्त पारिवारिक आकार के बारे में जागरूकता का स्तर बढ़ गया था और जनसंख्या नियंत्रण के उद्देश्य से अब एक अलग भत्ते की आवश्यकता नहीं थी। भत्तों संबंधी समिति ने सातवें वेतन आयोग की इस अनुशंसा को स्वीकार किया एवं वित्त मंत्रालय (एम.ओ.एफ.) ने तदनुसार 01 जुलाई 2017 से एफ.पी.ए. को बंद करने के आदेश⁹ पारित किए।

⁹ वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग ओ.एम.एफ.नं. 12(4)/2016-ईIII.ए दिनांक 07 जुलाई 2017.

एम.ओ.एफ. के आदेशों को परमाणु ऊर्जा विभाग (डी.ए.ई.) ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पी.एस.ई.) सहित सभी घटक इकाईयों को (14 जुलाई 2017) आवश्यक कार्यवाई हेतु अवगत कराया। इसके बाद, सार्वजनिक उपक्रम विभाग (डी.पी.ई.) ने भी एम.ओ.एफ. के उपर्युक्त निर्देशों का हवाला देते हुए, केंद्रीय महंगाई भत्ता (सी.डी.ए.) पैटर्न का पालन करने वाले केंद्रीय पी.एस.ई. के संदर्भ में 01 जुलाई 2017 से एफ.पी.ए. का भुगतान बंद करने के निर्देश¹⁰ जारी किए।

डी.ए.ई. के अंतर्गत आने वाले एक पी.एस.ई., न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एन.पी.सी.आई.एल.) ने (24 अगस्त 2017) डी.ए.ई. से यह स्पष्टीकरण मांगा कि क्या छोटे परिवार के मानदंडों के पालन हेतु प्रोत्साहन जारी रखा जाना चाहिए या अन्यथा, क्योंकि एन.पी.सी.आई.एल. की छोटे परिवार के मानदंडों की प्रोत्साहन योजना, 1991 एन.पी.सी.आई.एल. के लिए विशिष्ट थी और इसे निदेशक मंडल की मंजूरी के साथ शुरू किया गया था। उपर्युक्त डी.पी.ई. के आदेशों का हवाला देते हुए, डी.ए.ई. ने स्पष्ट किया (12 अप्रैल 2019) कि एम.ओ.एफ. के दिनांक 07 जुलाई 2017 के निर्देशानुसार एफ.पी.ए. को एन.पी.सी.आई.एल. में बंद करने की आवश्यकता है।

एन.पी.सी.आई.एल. ने, हालांकि, छोटे परिवार के मानदंडों को पालन करने की प्रोत्साहन योजना को 01 मई 2019 से वापस लेने के लिए मंडल को एक प्रस्ताव भेजा। मंडल ने (जुलाई 2019) प्रोत्साहन को 01 अगस्त 2019 से बंद करने की मंजूरी दे दी। डी.पी.ई. और डी.ए.ई. के निर्देशों के बावजूद, जुलाई 2017 से जुलाई 2019 तक एन.पी.सी.आई.एल. द्वारा एफ.पी.ए. का निरंतर भुगतान अनियमित था, और परिणामस्वरूप एफ.पी.ए. के रूप में ₹5.42 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान हुआ।

प्रबंधन ने बताया (अगस्त 2020) कि एन.पी.सी.आई.एल. को डी.पी.ई. के दिशा निर्देशों से छूट दी गई है एवं एन.पी.सी.आई.एल. कैबिनेट द्वारा अनुमोदित परमाणु उर्जा आयोग के दिशा निर्देशों के तहत संचालित होती है।

¹⁰ भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उपक्रम मंत्रालय, डी.पी.ई. ओ.एम.नं. डब्ल्यू.02/0058/2016-डी.पी.ई.(डब्ल्यू.सी.)-जी.एल.-XIII./18 दिनांक 21 मई 2018

एन.पी.सी.आई.एल. ने आगे बताया कि छोटे परिवार के मानदंडों के पालन हेतु प्रोत्साहन राशि का भुगतान जारी रखने या बंद करने का मामला डी.ए.ई. को केवल स्पष्टीकरण के लिए भेजा गया था और अनुमोदन के लिए नहीं। डी.ए.ई. से प्राप्त स्पष्टीकरण के आधार पर, मामले को एन.पी.सी.आई.एल. के निदेशक मंडल के सामने रखा गया, जिसने 01 अगस्त 2019 से योजना को वापस लेने की अनुमति प्रदान की।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि डी.ए.ई. ने प्रशासनिक मंत्रालय होने के नाते, अपने स्पष्टीकरण में (12 अप्रैल 2019) स्पष्ट रूप से कहा था कि एम.ओ.एफ. और डी.पी.ई. के निर्देश एन.पी.सी.आई.एल. पर भी लागू थे और जिसके चलते, यह प्रोत्साहन 01 जुलाई 2017 को बंद किया जाना चाहिए था। एन.पी.सी.आई.एल. द्वारा योजना को 01 जुलाई 2017 के बजाए 01 अगस्त 2019 से बंद करने का निर्णय, डी.ए.ई. के निर्देशों के उल्लंघन में था और परिणामस्वरूप एन.पी.सी.आई.एल. के कर्मचारियों को ₹5.42 करोड़ के भत्ते का अनुचित भुगतान हुआ।

यह मामला डी.ए.ई. के संज्ञान में जनवरी 2020 में लाया गया था; जिसका जवाब दिसंबर 2020 तक अपेक्षित था।

दादरा एवं नगर हवेली प्रशासन (अब दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव प्रशासन)

डी.एन.एच. ऊर्जा वितरण निगम लिमिटेड

4.6 ऑनलाइन बिल भुगतान प्रणाली के माध्यम से प्रेषण की प्राप्ति

ऑनलाइन भुगतान प्रसंस्करण सेवा प्रदाता द्वारा 36 दिनों से 241 दिनों की अवधि हेतु ₹94.19 करोड़ के प्रेषण में विलम्ब के परिणामस्वरूप ₹4.08 करोड़ के ब्याज की हानि।

डी.एन.एच. ऊर्जा वितरण निगम लिमिटेड (कंपनी) ने कंपनी के ग्राहकों द्वारा भुगतान और ऑनलाइन बिल भुगतान के संग्रहण हेतु प्रसंस्करण तंत्र से संबंधित प्रबंधन सेवाओं के लिए मैसर्स इंडियाआईडियाज़डॉटकॉम लिमिटेड (बिल डेस्क के रूप में भी जाना जाता है) के साथ एक समझौता किया (मई 2013)। भारतीय

रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार भागीदार बैंकों / नोडल बैंकों में रखे गए नामित बैंक खातों में मैसर्स इंडियाआईडियाज़ द्वारा ग्राहक भुगतान प्राप्त करना तथा एकत्र करना और फिर कंपनी को हस्तांतरित करना आवश्यक था।

समझौते के खंड 4.2 में यह प्रावधान है कि मैसर्स इंडियाआईडियाज़ यह सुनिश्चित करेगा कि भागीदार बैंक/ नोडल बैंक वैध बिल राशियों को T +1¹¹ दिन के भुगतान व्यवस्था के साथ एकत्र कर के कंपनी को जारी करेगा, लेखा परीक्षा ने पाया कि कंपनी को वैध भुगतानों के विलंबित प्रेषण की स्थिति में मैसर्स इंडियाआईडियाज़ या किसी अन्य उपाय पर लगाए जाने वाले ब्याज/दंड के संबंध में समझौते में कोई विशेष प्रावधान नहीं था।

समझौते के खंड 4.7 की सूची ए में यह भी प्रावधान है कि कंपनी को इस तरह के बिल भुगतानों और प्राप्तियों के उचित सामंजस्य के बाद, एक महीने में कम से कम एक ऐसी पुष्टि के अधीन पारस्परिक रूप से सहमत अंतराल पर मैसर्स इंडियाआईडियाज़ से प्राप्त भुगतानों की पुष्टि करनी चाहिए।

अभिलेखों की समीक्षा करने पर लेखा परीक्षा ने पाया कि आठ मामलों में कंपनी को उपभोक्ताओं से मैसर्स इंडियाआईडियाज़ द्वारा एकत्र की गई राशि पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हुई। सितंबर 2013 से अप्रैल 2014 के दौरान प्रेषण के आठ मामलों में कंपनी ने कंपनी उपभोक्ताओं से मैसर्स इंडियाआईडियाज़ द्वारा एकत्र किए गए ₹104.66 करोड़ के कुल बकाए में से केवल ₹10.47 करोड़ प्राप्त किए। कंपनी ने प्राप्तियों में कमी पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि मैसर्स इंडियाआईडियाज़ के साथ भुगतानों का समाधान समय-समय पर नहीं किया गया था। ₹94.19 करोड़ की राशि 36 से 241 दिनों की अवधि के लिए अप्राप्त रही। ₹94.19 करोड़ की अप्राप्त राशि आखिरकार कंपनी द्वारा 17 मई 2014 को प्राप्त की गई। 36 दिनों से लेकर 241 दिनों तक की अवधि के लिए ₹94.19 करोड़ की राशि के प्रेषण में कमी के कारण कंपनी को ₹4.08 करोड़¹² के ब्याज की हानि हुई।

¹¹ 'टी' लेनदेन के पूरा होने के बारे में सूचना देने का दिन है।

¹² 12 प्रतिशत की दर को समझौते के खंड 5.3 से अपनाया गया।

लेखा परीक्षा ने विलंबित भुगतान पर ब्याज की हानि पर इंगित किया कि कंपनी ने मैसर्स इंडियाआईडियाज़ से कंपनी को राशि भेजने में बिलम्ब हेतु ब्याज का दावा किया।

हालांकि मैसर्स इंडियाआईडियाज़ ने कहा कि प्रणाली में तकनीकी खराबी के कारण आठ लेनदेन के एवज में प्रेषित राशि काट दी गई तथा जो राशि ग्राहकों से एकत्र की गई वो राशि ग्राहक के बैंक से एक नोडल बैंक में और फिर नोडल बैंक से सीधे कंपनी में स्थानांतरित कर दी गई तथा पैसा मैसर्स इंडियाआईडियाज़ के पास कभी नहीं था। कंपनी ने मैसर्स इंडियाआईडियाज़ के विवाद को स्वीकार किया और यह माना कि तकनीकी खामी मैसर्स इंडियाआईडियाज़ के नियंत्रण से बाहर है, ब्याज की वसूली के दावे को आगे नहीं बढ़ाया गया।

प्रबंधन ने (जुलाई 2019) कहा कि आठ लेनदेन के संबंध में कमी तकनीकी खामी के कारण कार्य कार्यान्वयन की प्रारंभिक अवधि में हुई थी जिसके कारण नोडल बैंक से कंपनी बैंक खाते में केवल 10 प्रतिशत धन स्थानांतरित हुआ था जिससे शेष राशि 90 प्रतिशत नोडल बैंक खाते में ही रह गई थी। उसने आगे बताया कि मई 2014 के बाद प्रणाली में तकनीकी खराबी को ठीक करने के बाद से इस तरह की त्रुटि की पुनरावृत्ति नहीं हुई। समझौते के खंड 5.3 के अंतर्गत जांच की आवश्यकता वाले किसी भी धोखाधड़ी लेनदेन का संदेह नहीं था। इसलिए समझौते के पैरा 5.3 के अंतर्गत उल्लिखित 12 प्रतिशत के आधार पर ब्याज के नुकसान का दावा / गणना करना न तो का सुधारात्मक कार्रवाई होगी और न ही न्यायसंगत होगा।

संघ शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली प्रशासन प्रबंधन के जवाब का समर्थन (सितंबर 2019) करता है।

हालांकि कंपनी और सेवा प्रदाता की प्रक्रिया में सुधार करने और पुनरावृत्ति को रोकने के प्रयासों की सराहना की जाती है, कंपनी आठ महीने तक की अवधि के लिए ₹94.19 करोड़ प्राप्त करने में विफल रही। यह देरी कंपनी द्वारा समय पर ढंग से खातों के सामंजस्य न करने के कारण हुई, जिससे ₹4.08 करोड़ के ब्याज की हानि हुई। चूंकि यह समझौते में परिभाषित सेवाएं प्रदान करने के

लिए मैसर्स इंडियाआइडिया पर निर्भर था, इसलिए यह अपनी गलती के कारण किसी भी रोके गए भुगतान के लिए ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। कंपनी ने मैसर्स इंडियाआइडिया के साथ विलंबित प्रेषण पर ब्याज के अपने दावे को भी छोड़ दिया। इस मामले को सेवा प्रदाता के साथ आगे बढ़ाने की जरूरत है तथा ब्याज राशि की वसूली के लिए कानूनी उपाय शुरू किए जाना चाहिए।